न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – अरुण कुमार जैन , आर.ए.एस

प्रकरण सं.234/2020 प्रा.प. दायर दिनांक 06.10.2020 निर्णय दिनांक 09.04.2026

उनवान

1.श्री सत्यनारायण आत्मज स्व.श्री नाथुदास जी जाति बैरागी नि.कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज)

2.श्री भैरूदास आत्मज स्व.मांगू दास जी जाति बैरागी नि.कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लादू आत्मज श्री भैरू जी तेली निवासी नि.कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. श्री लाड पुत्री स्व.भैरू जी तेली निवासी नि.कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती कमला पुत्री स्व. भैरू जी तेली निवासी नि.कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती जड़ाव पत्नि स्व.भैरू जी तेली निवासी नि.कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत, धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत् राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करवाने बावत्

उपस्थित-

1. अधिवक्ता प्रार्थी गण श्री मांगीलाल सेन उपस्थित।
2. विपक्षी सं. 01 से 04 अनुपस्थित एक तरफा कार्यवाही।
3. विपक्षी सं.05 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध विपक्षीगणो के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोदुकोटा प.म.कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा मे आ.न.3326 रकबा 0-06 बिश्वा व आ.न.3327 रकबा 1.04.10 भूमि कुल किता 2 रकबा 1.10.10 भूमि प्रार्थी सं. 01 के नाम तथा आ.न.3325 रकबा 0-05 व आ.न.3327/1 रकबा 1.05.10 भूमि प्रार्थी सं.02 के नाम कृषिमय आराजीयात होकर राजस्व रिकार्ड मे अभिलिखित है । उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आ.न.3325,3326,3327,3327/1 ने जाने हेतु मौके पर रास्ता कोदुकोटा से उदलियास जाने वाले रास्ते से प्रारम्भ होकर विपक्षीगण की आ.न.3319 व 3320 मे से होते हुए प्रार्थी गण की आराजीयात् मे प्रवेश करता है। जो मौके पर विद्यमान होकर 20 फीट चौड़ाई का रास्ता है। जिसका उपयोग प्रार्थीगण विगत 60-70 वर्षो से करते आ रहे है व प्रार्थी गण को सुखाधिकार प्राप्त है।किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दर्ज नही होने के से विपक्षीगण द्वारा बार-बार रास्ता बन्द कर दिया जाता है। प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाये जाने बावत् व मौके पर उक्त रास्ते को बंद नही करने बावत् विपक्षीगणो को कई मर्तवा निवेदन किया परन्तु विपक्षीगण द्वारा हर बार टालमटोल किया गया व अन्त मे दिनांक 15.02.2020 को बिल्कुल ईन्कार कर दिया व रास्ते को भी मौके पर छड़ी व थोर की बाड़ लगाकर बन्द कर दिया। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगणो की आराजी नं. 3319,3320 मे से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार 20 फीट चोड़ाई का रास्ता

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

नियमानुसार दिया जावे। रास्ते के रूप मे अवाप्त की जाने वाली भूमि का प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर भुगतान करने हेतु सहमत है।

अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जाकर ग्राम कोदुकोटा प.म.कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी सं.3325,3326,3327,3327/1 मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी सं. 3319,3320 मे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम कराते हुए सिवायचक बिलानाम गेमु.रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दर्ज करवाया जाने का आदेश प्रदान करावे।विपक्षीगण की रास्ते के उपयोग मे आ रही भूमि की क्षतिपूर्ति प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार भुगतान करने हेतु सहमत है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण द्वारा नोटिस तामिल उपरान्त भी उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपने पत्रांक क्रमांक 485 दिनांक 04.09.2025 से रास्ते का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । जिसमे अंकित किया कि प्रार्थीगण की ग्राम कोदुकोटा की आराजी नं.3325,3326,3327,3327/1 मे जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नं. 3319 की पश्चिमी मेड़ से मार्ग चाहा है जो विपक्षी की भूमि है। विपक्षी लादू पुत्र भैरू तेली मौके पर उपस्थित है। आ.न.3319 की पश्चिमी मेड़ से प्रस्ताव तैयार करने पर अप्रार्थी की भूमि दो भागे मे विभक्त होती है जो न्यायोचित नही है। अप्रार्थी रास्ते के रूप मे अवाप्त भूमि का प्रतिकर नही प्राप्त कर अवाप्त भूमि के बदले भूमि चाहता है। अप्रार्थी मौके पर 12 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थीगण को देना चाहता है परन्तु प्रार्थीगण 20 फीट चोड़ाई का रास्ता चाहते है। इसलिए अप्रार्थी की आ.न.3319 के पूर्वी मेड़ पर 16 फीट चौड़ाई का रास्ता क्षेत्रफल (530 गुणा 16 यानि की 8480 वर्गफीट यानि 0.0787 हे.) व प्रार्थीगण की आराजी नं. 3325 , 3326 मे से (170गुणा 50 यानिं 8480 वर्गफीट) भूमि आ.न. 3325 मे से 0.0325 हे.व आ.न.3326 मे से 0.0462 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी को प्रतिकर के रूप मे प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजीयात् मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

प्रकरण मे प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच मार्ग हेतु प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थीगण को भूमि देने की सहमति व्यक्त की गयी, इस आशय का अंकन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.01 द्वारा प्रदत्त सहमति का भू.अभिलेख निरीक्षक सुवाणा द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मे भी किया गया है। राज्य सरकार की अधिसुचना दिनांक 06 सितम्बर 2023 एफ .2(20)विधि /02/2023 राजस्थान क़ाश्तकारी (संशोधन) अधिनयम 2023 के अनुसार " **विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे , ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रिति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये " के स्थान पर अभिव्यक्ति " विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे , ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रिति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज मे ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय मे अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अन्तरण किये जाने पर " प्रतिस्थापित किया गया है।** इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव –

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
9/1/26

आदेश

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम कोदुकोटा प.म.कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा के आ.न.3319 की पूर्वीमेड़ पर पर 16 फीट चौड़ाई का रास्ता क्षेत्रफल (530 गुणा 16 यानि की 8480 वर्गफीट यानि 0.0787 हे.) भूमि बिलानाम रास्ते हेतु स्वीकृत किया जाता है तथा व प्रार्थीगण की आराजी नं. 3325 , 3326 मे से (170 गुणा 50 यानि 8480 वर्गफीट) भूमि अर्थात् आ.न. 3325 मे से 0.0325 हे.व आ.न.3326 मे से 0.0462 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे। दर्ज रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा रास्ते हेतु सार्वजनिक उपयोग कर सकेगे। तहसीलदार भीलवाड़ा को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो । पत्रावली फैशल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मे संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरुण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा